

4080(5)
09/5/17

**अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय,
विश्वेश्वरैया भवन बेली रोड, पटना।**

कोटेशन – आमंत्रण सूचना

पथ निर्माण विभाग (मुख्यालय) बिहार, पटना के कार्यालय प्रयोजनार्थ सरकारी कार्यों (निरीक्षण/बैठक) के निष्पादन हेतु एक अदद भाड़े की वातानुकूलित (A.C) SUV वाहन की दैनिक किराया पर आवश्यकता है। इस हेतु आपूर्ति-कर्ताओं से निम्नलिखित शर्तों के साथ मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं:-

- (1) कोटेशन दिनांक-16.05.2017 को 11:00 बजे पूर्वाह्न से 3:00 अपराह्न तक अवर सचिव (ले०), द्वितीय तल, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के लेखा शाखा से प्राप्त किये जायेंगे।
- (2) एक मुहरबंद लिफाफा के अन्दर दो अलग-अलग मुहरबन्द लिफाफे (तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड लिफाफा) होंगे। तकनीकी बीड के लिफाफा में गाड़ी से संबंधित सभी कागजात, पैन कार्ड, चालक का ड्राइविंग लाईसेंस, अग्रधन की राशि आदि से संबंधित कागजात एवं दर अंकित करने हेतु प्रपत्र को छोड़ कर कोटेशन आमंत्रण सूचना की हस्ताक्षरित प्रति रख कर मुहरबंद करना होगा। वित्तीय बीड लिफाफा में दर अंकित करने हेतु प्रपत्र होगा, जिसमें वांछित प्रविष्टि के साथ कोटेशनदाता का हस्ताक्षर रहेगा। वित्तीय बीड लिफाफा को भी मुहरबंद करना होगा।
- (3) Cost of NIQ document के मद में 500/- (पाँच सौ रुपये) मात्र का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमान्ड ड्राफ्ट जो "अवर सचिव (ले०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना" के नाम से पटना में भुगतये हो, जमा करना होगा। Earnest Money के रूप में 5000/- (पाँच हजार रुपये) मात्र किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का T.D.R जो कम-से-कम 01 (एक) वर्ष के लिए जमा हो या Post Office Passbook या N.S.C (Updated Issue) अवर सचिव (ले०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के नाम से प्रतिज्ञित कराकर जमा करना होगा। Earnest Money के कागजात तकनीकी बीड के लिफाफा में रखा जाएगा। Cost of NIQ document या Earnest Money या दोनो नहीं पाए जाने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जाएगा।
- (4) NIQ दिनांक-08.05.2017 से दिनांक-16.05.2017 तक कंडिका-1 में उल्लेखित कार्यालय से कार्यालय अवधि में डिमान्ड ड्राफ्ट जमा कर प्राप्त किए जा सकते हैं।
- (5) प्राप्त कोटेशन के तकनीकी बीड को दिनांक-16.05.2017 को 3:30 बजे अपराह्न में अवर सचिव (ले०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में खोला जायेगा। कोटेशनदाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उस समय मौजूद रहेंगे। तकनीकी बीड में सफल कोटेशनदाताओं का ही वित्तीय बीड खोला जाएगा।
- (6) सफल न्यूनतम कोटेशन दाता के कार्यादेश निर्गत करने के पश्चात् अन्य कोटेशनदाताओं का Earnest Money के कागजात वापस कर दिए जाएंगे।
- (7) गाड़ी का निबंधन व्यावसायिक होना चाहिए तथा गाड़ी का बीमा, विविध करों का भुगतान तथा विविध प्रकार के Clearance के कागजात अद्यतन होने चाहिए।
- (8) गाड़ी की आयु काटेशन प्राप्ति की तिथि को दो वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- (9) वाहन के उपयोग में विभागीय निरीक्षण एवं बैठक हेतु मुख्यालय से बाहर जाना भी शामिल होगा।
- (10) गाड़ी के रख-रखाव एवं चालक के खर्च के लिए अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (11) गाड़ी की सुरक्षा की जवाबदेही वाहन आपूर्ति कर्ता की होगी।
- (12) किसी प्रकार की दुर्घटना से हुई क्षति की प्रतिपूर्ति की जवाबदेही विभाग की नहीं होगी।
- (13) कार्य के आवश्यकतानुसार जिस दिन ससमय वाहन नहीं उपलब्ध कराया जायेगा उस दिन 1000/- रुपये प्रतिदिन की दर से Penalty की वसूली की जाएगी।
- (14) गाड़ी की सेवा अनुमोदित दर पर दैनिक दर के आधार पर 01 (एक) वर्ष हेतु ली जायेगी एवं कार्य की आवश्यकतानुसार सूचित करने पर वाहन उपलब्ध कराना होगा। सेवा संतोषजनक पाए जाने पर सक्षम प्राधिकार के आदेश से भविष्य के लिए नवीकृत भी किया जा सकता है।
- (15) वाहन के प्रकार के चुनाव का अधिकार तथा बिना कारण बताए कोटेशन रद्द करने का अधिकार/कोटेशन प्राप्ति की तिथि विस्तारित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
- (16) विशेष जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्यालय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।
- (17) कार्यादेश निर्गत होने के तीन दिनों के अन्दर चयनित वाहन चालक के साथ उपलब्ध कराना होगा।
- (18) आवंटन उपलब्ध रहने पर ही भाड़े का भुगतान किया जाएगा। भुगतान में विलम्ब की स्थिति में कोई अतिरिक्त दावा मान्य नहीं होगा।
- (19) दर अंकित करने के लिए विहित प्रपत्र संलग्न।
- (20) कोटेशन के दिन अवकाश घोषित होने पर कोटेशन की तिथि अगले कार्य दिवस को होगा।
- (21) वित्तीय बीड में सफल कोटेशनदाता द्वारा एक सप्ताह के अन्दर एकरारनामा नहीं करने की स्थिति में फर्म/कम्पनी/एजेन्सी का नाम काली सूची में दर्ज करा दी जायेगी।

(शैलेन्द्र नारायण मल्लिक)
सरकार के अवर सचिव (मु०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 41स्था०-वाहन-13-03/2017 4080(5)
प्रतिलिपि:- पाँच प्रतियों एवं सीडी के साथ निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित।
कृपया बिहार, पटना से प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय तथा अपने वेबसाइट पर इसे अपलोड करना चाहेंगे।

(शैलेन्द्र नारायण मल्लिक)
सरकार के अवर सचिव (मु०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 41स्था०-वाहन-13-03/2017 4080(5)
प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रावैधिक), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/श्री बी०एन० प्रसाद, संयुक्त उद्योग निदेशक (तकनीकी), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप निदेशक (क्रय एवं परिवहन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना, सदस्य, क्रय समिति, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(शैलेन्द्र नारायण मल्लिक)
सरकार के अवर सचिव (मु०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 4/स्था.वा.व.ग-13-03/2017 4080(S)

पटना, दिनांक 09/5/17

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता (या०) दक्षिण बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (या०) उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा/मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना/निदेशक, TRI, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(शैलेन्द्र नारायण मल्लिक)
सरकार के अवर सचिव (मु०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक 09/5/17

ज्ञापांक- 4/स्था.वा.व.ग-13-03/2017 4080(S)

पटना, दिनांक 09/5/17

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

(शैलेन्द्र नारायण मल्लिक)
सरकार के अवर सचिव (मु०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक 09/5/17

ज्ञापांक- 4/स्था.वा.व.ग-13-03/2017 4080(S)

पटना, दिनांक 09/5/17

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (अनु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/श्री कुमार गुंजन, आई०टी० मैनेजर, हेल्पलाईन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सीडी के साथ वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु समर्पित।

(शैलेन्द्र नारायण मल्लिक)
सरकार के अवर सचिव (मु०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

09/5/17